



संदर्भ क्र०एसईसीएल/बीएसपी/विक्रय एवं विपणन/ई-आक्शन/H10

दिनांक 03.05.2010

सूचना / NOTICE

एसईसीएल ने **स्पॉट** ई-आक्शन के माध्यम से रोड द्वारा **60,000** टन नान-कोकिंग कोल बिक्री करने का निर्णय लिया है। **स्पॉट** ई-आक्शन के माध्यम से रोड द्वारा बिक्री के लिये फील्ड-वाईज व स्रोत/ग्रेड/ साईज-वाईज मात्रा-आफर का विवरण **अनुलग्नक-ए** के रूप में संलग्न है। **स्पॉट** ई-आक्शन के माध्यम से उपर्युक्त संदर्भित कोयले के बिक्री की नियम व शर्तें अनुलग्नक- **बी** के रूप में संलग्न है।

SECL have decided to sell **60,000** tonnes of non coking coal for **MAY'10** by Road mode through Spot e-Auction. The details of field-wise and source/grade/size-wise quantities offered for sale by Road mode through e-Auction are annexed as **Annexure-A**. The terms and conditions for sale of coal through e-Auction as referred above are annexed as **Annexure B**.

एसईसीएल ने एसईसीएल की ओर से दिनांक **10 मई-2010** को **स्पॉट** ई-आक्शन के संचालन के लिये मेसर्स एमएसटीसी लिमि को निम्न विवरण के अनुसार नियुक्त किया है।

SECL has engaged M/S MSTC Ltd for conducting e-Auction on behalf of SECL on **MAY'10** as per details given below:

सेवा प्रदायकर्ता का नाम Name of the Service Provider	कोयले की ई-आक्शन संचालन के लिये नियत-कार्य Assignment for conducting e-Auction of coal
M/s. MSTC Ltd on 10.05.10 (ROAD)	Coal offered for sale through e-Auction by Road Mode from the sources of Korba Field Field. The details are annexed at Annexure- A

ई-आक्शन में भाग लेने के इच्छुक खरीददार को ऐसे पंजीयन की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड एवं मेसर्स एम0जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड के पास स्वयं का पंजीयन कराना होगा और आवश्यक ईएमडी जमा करना होगा। (अनुलग्नक- **बी** के रूप में संलग्न नियम एवं शर्तों की धारा-2 के अनुसार)। सफल बोलीकर्ता को कोयले की पूरी कीमत एनईएफटी/आरटीजीएक्स के माध्यम से बिलासपुर (छ0ग0) में देय "एसईसीएल कोल सेल रिलाईजेशन, एकाउंट—“नेम आफ कस्टमर” के पक्ष में सीधे मुख्य महाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन), एसईसीएल बिलासपुर के कार्यालय में जमा करना होगा। (अनुलग्नक- **बी** के रूप में संलग्न नियम एवं शर्तों की धारा 5 एवं 6 के अनुसार)।

To participate in the e-Auction the interested buyer shall have to get himself registered with M/s. MSTC Ltd. & M/s. M Junction Services Ltd after fulfilling the required formalities of such registration and submission of required EMD. **(as per clause 2 of Terms & Conditions enclosed as Annexure-B)**. The successful bidders shall have to remit full coal value through **NEFT/RTGS** in favour of **“SECL Coal Sale Realisation, A/c---“Name of Customer” payable at Bilaspur (C.G)** directly at the Office of the CGM(S&M), SECL, Bilaspur. **(as per clause 5 & 6 of “Terms & Conditions” enclosed as Annexure-B)**.

ई-आक्शन रोड माध्यम से मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा माह **मई-2010** की दिनांक **10** को रोड माध्यम के लिये अपने पोर्टल पर संचालित किया जाएगा। मेसर्स एमएसटीसी को रोड माध्यम के लिये आबंटित किये गये/सौंपे गये स्रोत/मात्रा का विवरण **अनुलग्नक ए** के अनुसार है। अन्य जानकारी एवं विवरण के लिये खरीददार को सलाह दी जाती है कि मेसर्स एमएसटीसी लिमि0 एवं एसईसीएल के संबंधित वेब-साईट का अवलोकन करें।

E-Auction shall be conducted on their Portal by M/S MSTC Ltd on **10th MAY'10** for Road Mode. The sources /quantity for Road mode as assigned to MSTC as per **Annexure- A**. For other information & details, buyers are advised to visit the respective websites of M/s. MSTC Ltd and SECL.

उपर उल्लिखित सेवा प्रदायकर्ता और एसईसीएल का वेबसाईट,ई-मेल पता एवं डाक का पता नीचे दिया गया है ।

The websites, e-mail address & postal address etc. of the afore mentioned service providers and SECL are given below:

1. M/s. MSTC Ltd., 225, Acharya Jagdish Chandra Bose Road, Kolkata – 700020

दूरभाष कं० / **Phone No.:** 033-22891401,22470568, 22479622, 22470964

वेबसाईट / **Website:** www.mstcmarketing.com & www.mstcindia.co.in

ई-मेल / **E-Mail:** mstcindia@mstcindia.co.in

संपर्क व्यक्ति / **Contact Person:** Sri Sanjib Poddar, SO To CMD

दूरभाष कं० / **PH NO:** 033-22891401 & nwjHkk"kl0@ **Mobile No:** +9109830156246

2. Office Of The Chief General Manager (Sales & Marketing)

South Eastern Coalfields Ltd, Seepat Road, Bilaspur (C.G)

वेबसाईट / **Website:** www.secl.gov.in

संपर्कव्यक्ति / **Contact Person:** D.R.Biswas, Chief Sales Manager, SECL Seepat Road, Bilaspur

दूरभाष सं० / **Phone No :** 07752-246322/246472

संलग्नक / **Encl.:** उपरोक्तानुसार / a/a

मुख्य महाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन)
Chief General Manager (S&M)
एसईसीएल बिलासपुर / SECL, Bilaspur

प्रतिलिपि / Copy To:

1. सूचना-पटल, विक्रय एवं विपणन, एसईसीएल बिलासपुर / Notice Board, S&M Dept., SECL, Bilaspur
2. निदेशक तकनीकी (संचालन), एसईसीएल बिलासपुर / DT (O), SECL, Bilaspur
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी, एसईसीएल बिलासपुर / CVO, SECL, Bilaspur
4. मुख्य महाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड / C.G.M. (S&M), CIL
5. महाप्रबंधक (सिस्टम), एसईसीएल / GM (System), SECL, Bilaspur- कृपया एसईसीएल के वेबसाईट में अनुलग्नक सहित इस सूचना को डिसप्ले करें। / To please display this notice along with Annexure in the website of SECL.
6. उप मुख्य विक्रय प्रबंधक (एस/ए), एसईसीएल, कोलकाता / Dy. C.S.M. (S/A), SECL, Kolkata- सूचनार्थ एवं सूचना-बोर्ड में डिसप्ले करने हेतु / For information and display in Notice Board.
7. मुख्य विक्रय प्रबंधक (विक्रय एवं विपणन), एसईसीएल / CSM (S&M), SECL
8. विक्रय प्रबंधक (आरएस), एसईसीएल / SM (RS), SECL
9. उप मुख्य विक्रय प्रबंधक (ईए), एसईसीएल / Dy. CSM (EA), SECL
10. मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक, एसईसीएल समस्त क्षेत्र / CGM/GM, SECL all Areas
11. वित्त प्रबंधक (विक्रय एवं विपणन), एसईसीएल बिलासपुर / FM(S&M), SECL, Bilaspur
12. एमएसटीसी, कोलकाता –आफर मात्रा का विवरण तथा नियम व शर्तों सहित

Annexure -A**DETAILS OF FIELD-WISE/SOURCE-WISE QUANTITIES OFFERED BY SECL FOR SALE OF COAL THROUGH SPOT e-AUCTION TO BE CONDUCTED BY MSTC Ltd. ON MAY'10 FOR SALE THROUGH ROAD**

AREA	COLLERY	SIZE/GRADE	OFFER QTY (Tonnes)	Reserve Price Rs/Mt
KUSMUNDA	LAXMAN (STOCK)	SIZED ROM F	60000	741
TOTAL OF ANNEXURE-A		60000		

अनुलग्नक- बी**स्पॉट ई-आक्शन 2007 की नियम एवं शर्तें**

(दिनांक 14.11.2007 को कोल इंडिया लिमिटेड में आयोजित सहायक कम्पनियों के महाप्रबंधक (विक्रय एवं विपणन) की बैठक में दिये गये अंतिम रूप के अनुसार तथा तत्पश्चात भारत के उच्चतम न्यायालय में कोल इंडिया लिमिटेड के वरीय अधिवक्ता द्वारा किया गया समझौता)

Terms & Conditions of Spot e-Auction Scheme 2007
(As finalized in the meeting of GM (S&M) of Subsidiary Cos.
convened at CIL on 14.11.07 and thereafter settled
by Sr. Advocate of CIL in Supreme Court of India)

उद्देश्य / Objective:

ई-आक्शन के माध्यम से कोयला वितरण ऐसे खरीददारों को कोयला उपलब्ध कराने के विचार से शुरू किया गया है जो उपलब्ध संस्थागत यंत्रों के माध्यम से स्रोत के लिये सक्षम नहीं होते हैं। यह आशा की जाती है कि लम्बी अवधि में ई-आक्शन देश में कोयले की भविष्य के बाजार के रूप में तथा स्पॉट के सृजन में सहायता करेगा।

ई-आक्शन का उद्देश्य सभी इच्छुक खरीददारों को एकल विण्डो सेवा के माध्यम से कोयला खरीदने के लिये समान अवसर प्रदान करना है।

ई-आक्शन की शुरुआत देश भर में कोयले का वितरण और बाजार की उपभोक्ता मैत्री सिस्टम और एक सुगम, पारदर्शी माध्यम से कोयला खरीददारों को कोयला खरीदने के लिये समर्थ बनाने हेतु आन-लाइन कोयला बुक करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई है।

Coal distribution through e-Auction has been introduced with a view to provide access to coal for such buyers who are not able to source coal through the available institutional mechanism. In the long run it is expected that e-Auction may help in creating spot as well as future market of coal in the country.

The purpose of e-Auction is to provide equal opportunity to purchase coal through single window service to all intending Buyers.

E - Auction has been introduced to facilitate across the country wide ranging access to book coal on-line for all sections of coal Buyers enabling them to buy coal through a simple, transparent and consumer friendly system of marketing and distribution of coal.

नियम एवं शर्तें / Terms & Conditions :

स्पॉट ई-आक्शन के लिये "ई-आक्शन योजना 2007" के पैरा-टप(4) के संदर्भ में विस्तृत नियम एवं शर्तें नीचे दर्शित हैं :-

With reference to para VI (4) of the 'e-Auction Scheme 2007' for Spot e-Auction the detailed terms and conditions are given below :

1- पात्रता / Eligibility:

कोई भी भारतीय खरीददार (जैसे-व्यक्तिगत, भागीदार-संस्था, कम्पनियां आदि) कोयले की खरीददारी के लिये ई-आक्शन में भाग ले सकता है।

Any Indian Buyer (viz. individual, partnership firm, companies etc.) can participate in e-Auction for procurement of coal.

2. पंजीयन / Registration:

2.1 ई-आक्शन में भाग लेने के पूर्व, एक भावी खरीददार के लिये यह आवश्यक होगा कि संबंधित सेवा-प्रदायकर्ता के वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रपत्र में एक आवेदन जमा करके इस उद्देश्य से कोल इंडिया लिमिटेड/कोयला कम्पनियों द्वारा नियुक्त सेवा-प्रदायकर्ता के पास स्वयं का पंजीयन कराएँ। आवश्यक दस्तावेज जैसे-आयकर विवरण (नवीनतम), पैन नम्बर, विक्रय-कर/वैट पंजीयन प्रमाणपत्र, एसएसआई पंजीयन, ट्रेड-लाइसेंस, यदि लागू हो तो पास-पोर्ट साईज फोटोग्राफ्स आदि की प्रतियां जोकि

सेवा-प्रदायकर्ता द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार हों, के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें । पंजीयन या तो आन-लाईन के माध्यम से या सेवा-प्रदायकर्ता के किसी भी कार्यालय में किया जा सकेगा ।

- 2.1 Before participation in the e-Auction, a prospective Buyer shall be required to get itself / himself registered with the Service Provider appointed by the CIL / Coal Companies for the purpose, by submitting an application in the prescribed format available on the Website of the respective Service Providers. The application shall be made along with the required documents such as copy of Income Tax return (latest), PAN Number, Sales Tax / Vat Registration Certificate, SSI Registration, Trade License, if applicable, Passport size photograph, etc. as prescribed by the service provider. Registration can be done either online, or at any of the front offices of the service provider.
- 2.2 पंजीयन के बाद, सभी भावी खरीददारों का एक "यूनिक यूजर आई.डी." होगा तथा जिस पर वे लॉग कर सकते हैं, उस पर आधारित एक "पासवर्ड" होगा । सेवा-प्रदायकर्ता के पास पंजीयन प्रक्रिया का विवरण उनके संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध होगा ।

2.2 After the registration, all-prospective Buyers will have an auto generated "Unique User ID" & a "password" based on which they can log in. Details of the registration process with the service provider will be available in their respective websites.

- 2.3 सेवा-प्रदायकर्ता उनके पंजीकृत बोलीकर्ताओं को विधिवत पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणीकृत एक "फोटो पहचान-पत्र" जारी करेगा, जिसमें उन्हें एक " यूनिक पंजीयन नम्बर" आबंटित किया जाएगा। पंजीकृत बोलीकर्ताओं का "यूनिक पंजीयन नम्बर" सेवा-प्रदायकर्ता द्वारा कोयला कम्पनियों को संसूचित किया जाएगा ।

%% 2 %%

2.3 The service provider shall issue "Photo Identity Card" to their registered bidders duly authenticating the identity & signature, indicating a "Unique Registration Number" allotted to them. The "Unique registration number" of the registered bidders shall be communicated to the Coal Companies by the service provider.

- 2.4 एक पैन नम्बर पर केवल एक पंजीकरण किया जाएगा । यद्यपि एक से अधिक स्वतंत्र वैध विक्रय कर पंजीकरण के आधार पर एक पैन नम्बर पर एक से अधिक पंजीकरण करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में वैध विक्रय कर पंजीकरण का विवरण प्रत्येक "फोटो पहचान पत्र" में दर्शाया जाएगा ।

2.4 Only one registration will be done against one PAN number. However, based on more than one independent valid sales tax registration, more than one registration against a PAN Number can be considered. In such cases, the details of valid sales tax registration will be indicated in each 'Photo Identity Card'.

- 2.5 सेवा-प्रदायकर्ताओं के साथ पंजीकृत हो रहे सभी खरीददारों को सेवा-प्रदायकर्ताओं के पास ₹ 500 /- प्रति टन & 400 /- प्रति टन की दर पर ब्याजमुक्त बयाना राशि जमा (ईएमडी) करना होगा। यह ईएमडी किसी विशेष सहायक कोयला कम्पनी के लिये विषिष्ट नहीं होगा और जब तक ईएमडी की अपेक्षित राशि सेवा प्रदायकर्ता के पास बोलीकर्ता के खाते में उपलब्ध रहेगी, तब तक कोल इंडिया लिमिटेड के सहायक कोयला कम्पनी पर ई-आवषन में भाग लेने के लिये सेवा-प्रदायकर्ता के पास उपलब्ध होगा ।

2.5 All Buyers having been registered with the service providers shall also have to furnish non-interest bearing Earnest Money Deposit (EMD) at the rate of Rs.500 /- per tonne for Grade 'E' & above and Rs.400 /- per tonne for Grade 'F' & Below, with the Service Provider. This EMD shall not be specific for a particular Subsidiary Coal Company and shall be available with the Service Provider for participation in the e-Auction across the Subsidiary Coal Companies of CIL, as long as the required amount of EMD is available in the bidders a/c. with the Service Provider.

3. अधिसूचना / Notification:

3.1 कोयला कम्पनियां प्रतिमाह कम से कम दो ई-आवषन संचालित करने का कार्यक्रम बनायेंगे और इसे कम से कम 7-दिन पूर्व अग्रिम रूप में अधिसूचित करेंगे तथा इसे कम्पनियों के नोटिस बोर्ड में लगायेंगे एवं इसे कोयला कम्पनियों के वेबसाइट में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रदर्शित करेंगे । तदनुसार अपने वेबसाइट में भी इसे प्रदर्शित करने के लिये सेवा प्रदायकर्ताओं को इस कार्यक्रम में जानकारी दी जाएगी ।

Coal companies would draw program for conducting at least two e-Auctions per month and notify the same, minimum 7(seven) days in advance, through display on the Company's notice board and putting the same on the Coal Company's websites for wide publicity. The program will be intimated to the Service providers accordingly for hoisting the same on their websites also.

3.2 रेल व रोड माध्यम से प्रेषण के लिये अलग से आवषन किया जाएगा। रोड माध्यम से एक स्रोत के लिये बोली की न्यूनतम मात्रा 50-टन होगी, जबकि रेल के मामले में बोली की न्यूनतम मात्रा 1-रैक होगी । रैक-साईज प्रचलित रेलवे नियमों के अनुसार रहेगा। एक रैक में कोयले की मात्रा ई-आवषन के नोटिस में दर्शित अनुसार रहेगी।

There will be separate auction for dispatches by rail and road mode. The minimum quantity for bidding would be 50 (fifty) tonnes for a source for Road mode, where as in case of Rail the minimum quantity for bidding would be 1 (one) rake. The rake size

shall be as per prevalent Railway Rules. The quantity of coal in a rake shall be as indicated in the notice of E-auction.

3.3 खरीददार रेल द्वारा ई-आक्शन में भाग लेने के पहले रेलवे से रैक फिट स्टेशन/ गंतव्य के बारे में अपने आपको संतुष्ट कर लेंगे। रेलवे द्वारा स्वीकृत न किये जा रहे रैक फिट स्टेशन/गंतव्य-स्थलों के कारण वर्तमान रेलवे नियमों के अंतर्गत लागू विकल्प के बावजूद कार्यक्रम की अस्वीकृति खरीददार की चूक(असफलता) मानी जाएगी तथा संबंधित ईएमडी जब्त की जाएगी।

The Buyer should satisfy itself / himself about the Rake fit stations / destinations from the Railways before participation in e-Auction by rail, Non-acceptance of the programme, even after the option exercised under extant Railway rules, on account of rake-fit station/destinations being not accepted by the Railways shall be treated as a failure of the Buyer leading to forfeiture of relatable EMD.

4. बोली प्रक्रिया/Bidding Process

4P1 पंजीकृत बोलीकर्ता के लिये यह आवश्यक है कि वे वास्तविक बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पहले ई-आक्शन की नियम एवं शर्तों का लॉगिन करने के बाद अपनी स्वीकृति रिकार्ड कराएं।

The registered Bidders shall be required to record their acceptance after login, of the Terms & Conditions of the e-Auction before participation in the actual Bidding Process.

4.2 ई-आक्शन में भाग लेने के पूर्व, बोलीकर्ता एक स्रोत से देने के लिये आफर किये जा रहे कोयले की गुणवत्ता के संबंध में अपने आपको स्वयं संतुष्ट कर लें।

रू 3 रू

4.2 Before participating in e-Auction, bidders are to satisfy themselves with the quality of coal being offered from a source.

4P3 भावी बोलीकर्ता ईएमडी की राशि की सीमा तक ही बोली के लिये हकदार हैं, जोकि बोली के समय बोलीकर्ता के एकाउंट में सेवा-प्रदायकर्ता के पास उपलब्ध रहता है।

Prospective Bidders are entitled to Bid for the quantity to the extent of amount of EMD for which is available with the service provider in the bidder's account at the time of bidding.

4.4 खरीददार बोली के समय साविधिक उगाही, सतही परिवहन शुल्क, साईजिंग/बेनिफिकेशन शुल्क, कर,उपकर, रायल्टी, एसईडी एवं दूसरे अन्य शुल्कों को छोड़कर चूंकि ये डिलीवरी के समय पर लागू होगा, एफओआर/एफओबी कालरी आधार पर बेस कोयला मूल्य के रूप में प्रतिटन अपना "बोली मूल्य" उल्लेख करें। ये शुल्क एवं भाड़ा आदि खरीददार द्वारा वहन किया जाएगा।

The Buyers while bidding shall quote their "Bid price" per tonne in Indian Rupee as base coal price on FOR/FOB colliery basis, exclusive of other charges like statutory levies, surface transportation charges, sizing/beneficiation charges, taxes, cess, royalty, SED, & any other charges as will be applicable at the time of delivery. These charges as well as freight etc. shall be on the Buyers' account.

4.5 बोलीकर्ता को संबंधित ई-आक्शन में सुरक्षित रूप में बने रहने हेतु आरक्षित मूल्य/कीमत के समतुल्य मूल्य या उपर की बोली बोलना होगा।

The bidder has to bid for a price equal to or above the reserve price to secure consideration in the concerned e-Auction.

4.6 सेवा प्रदायकर्ता के पोर्टल पर बंद होने का समय सहित अग्रिम में यथा अधिसूचित ई-आक्शन की तारीख, समय एवं अवधि लिखकर चिपकाया जाय। किंतु यह अधिक महत्वपूर्ण होने पर किया जाएगा। तथापि, ई-आक्शन के बंद होने का समय पिछले बोली समय + 5-मिनट तक स्वतः बढ़ जाएगा, ताकि उस मद पर एक बेहतर बोली लगाने के लिये अन्य बोलीकर्ताओं को अवसर दिया जा सके।

The date, time and period of e-Auction as notified in advance including closing time on portal of service provider shall be adhered to but for the event of force majored. However, the closing time of e-Auction will be automatically extended up to last Bid time, plus 5 minutes, so that opportunity is given to other Bidders for making an improved Bid on that item.

4.7 बोलीकर्ता सामान्य ई-आक्शन के दौरान रू 10/- (रू 10 दस) की वृद्धि के साथ अपना बोली मूल्य (प्रतिटन) प्रस्ताव देंगे। प्रथम दो-घंटे की बढ़ायी गयी अवधि के दौरान बोलीकर्ता रू 20/- की वृद्धि के साथ अपना बोली मूल्य प्रस्ताव देंगे। दो-घंटे की इस बढ़ायी गयी समय से अधिक के लिये बोली मूल्य वृद्धि केवल रू 50/- होगा।

The Bidder shall offer his Bid price (per tonne) in the increment of Rs.10/- (Rupees ten) during the Normal e-Auction period. During the extended period of first two (2) hours, the Bidder shall offer his Bid price in the increment of Rs.20/-. Beyond this extended period of two hours the bid price increment would be Rs. 50/- (Rs. Fifty) only.

4.8 बोलीकर्ता के पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के समय वेबसाइट रजिस्टर करेगा और उस समय न्यूनतम सफल बोली मूल्य को स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। एक बोलीकर्ता को अपने ईएमडी के अनुसार अपनी योग्य मात्रा से अधिक बोली लगाने के लिये अनुमति नहीं देगा। तथापि, एक बेहतर बोली लगाने के लिये पात्रता हासिल करने के उद्देश्य से एक बोलीकर्ता को एक बार किसी दूसरे विशेष बोलीकर्ता से बढ़कर बोली बोलने देगा।

While maintaining the secrecy of Bidder's identity, the web site shall register and display on screen the lowest successful Bid price at that point of time. The system will not allow a Bidder to Bid in excess of his entitled quantity as per his EMD. However once a Bidder is out-bided by another (in part or full) the particular Bidder shall become eligible for making an improved Bid.

4.9 सफल बोलीकर्ताओं का निष्चय करने में निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया जाएगा:-

Following criteria would be adopted in deciding the successful bidders:-

- (a) जब तक आबंटन के लिये प्रस्तावित मात्रा उपलब्ध रहेगी, तब तक अवरोही क्रम में (एच1,एच2,एच3 और इसी तरह) उच्चतम बोली मूल्य को वरीयता प्रदान की जायेगी। **Precedence will be accorded to the highest bid price in the descending order (H1, H2, H3 and so on) as long as the offered quantity is available for allocation.**
- इद्ध यदि दो या अधिक खरीददारों की बोली एक समान उच्चतम मूल्य होता है तो आबंटन के लिये उस खरीददार को वरीयता दी जाएगी, जिसने उच्चतम मात्रा के लिये बोली बोला/रखा।
If two or more buyers bid the same highest price, precedence for allotment will be accorded to the buyer who has placed the bid for the higher quantity.
- इद्ध दो या अधिक खरीददारों की बोली मूल्य एक समान एवं मात्रा एक समान होने की स्थिति में उस खरीददार को वरीयता दी जाएगी,जिसने समय पर अपनी बोली पहले बोली।
In case two or more buyers bid the same price and the same quantity, precedence will be given to the buyer who has accorded his bid first with reference to time.

5. **bZ&vkD'ku iwoZ ifdz;k@Post e-Auction process:**

- 5.1 प्रत्येक सफल बोलीकर्ता को ई-आव्हन की समाप्ति के बाद सेवा प्रदायकर्ता द्वारा उसी दिन ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तथापि, यह बोलीकर्ता की जिम्मेवारी होगी कि वह ई-आव्हन के बाद उसी दिन वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये परिणाम को व्यक्तिगत रूप से देखें व उसे डाउनलोड करें।

:: 4 ::

Each successful bidder will be intimated through e-mail / SMS by the Service Provider on the same date after the closure of e-Auction. However, it will be the responsibility of the bidder to personally see and download the result displayed on website, on the same date after close of e-Auction.

- 5.2 ई-आव्हन के बाद सफल बोलीकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह ई-आव्हन की समाप्ति की तारीख के बाद सात कार्यालयीन कार्यदिवसों के अंदर संबंधित कोयला कम्पनी के पास कोयला मूल्य जमा करें। सात कार्य-दिवसों की गणना संबंधित सहायक कोयला कम्पनियों के कार्यालय में लागू कार्य-दिवसों के अनुसार की जाएगी,जहां भुगतान/जमा किया जाना अपेक्षित है।

The successful bidders after the e-Auction, will be required to deposit coal value with the concerned coal company, within a period of seven working days, after the date of closing of e-Auction. Seven working days would be reckoned as applicable to the respective Subsidiary Coal companies' office where the payment/ deposit is required to be made.

- 5.3 सफल बोली मात्रा के अनुरूप सफल बोलीकर्ता की ईएमडी की समतुल्य राशि रोक दी जाएगी और सफल बोलीकर्ताओं के संबंध में बोली-शीट के साथ सेवा प्रदायकर्ता द्वारा कोयला कम्पनी को स्थानांतरित कर दी जाएगी।

Equivalent amount of EMD of successful bidder corresponding to successful bid quantity, shall be blocked and will be transferred to Coal Company by the service provider along-with the bid sheet in respect of successful bidders.

6. **भुगतान की शर्तें/Terms of payment:**

- 6.1 सफल बोलीकर्ताओं द्वारा अग्रिम में कोयला मूल्य जमा किया जाने वाला कोयले के मूल्य की गणना की जायेगी तथा सहायक कम्पनी को सेवा प्रदायकर्ता द्वारा पूर्व में स्थानांतरित सफल बोली की मात्रा की ईएमडी राशि के लिये प्रावधान बनाकर जमा किया जायेगा। दूसरे शब्दों में, कोयला मूल्य एवं ईएमडी राशि साथ-साथ जमा किया जाय, जो 100-प्रतिशत कोयला मूल्य के समतुल्य/बराबर होगा।

The coal value to be deposited in advance by the successful bidders shall be computed and deposited after making provision for the EMD amount for the successful bid quantity already transferred by the service provider to the subsidiary company. In other words, the coal value to be deposited and EMD amount together, shall be equivalent to the 100 % coal value.

- 6.2 ईएमडी राशि को कोयला मूल्य में समायोजन के रूप में नहीं माना जाएगा किंतु उक्त लेनदेन के पूरा होने पर बोलीकर्ता के कार्य-निष्पादन के लिये उसे "प्रतिभूति-जमा" में तुरंत परिवर्तित कर दिया जाएगा।

EMD amount shall not be treated as an adjustment towards the coal value but would stand converted into a 'Security Deposit' for performance of the bidders towards completion of the said transaction.

- 6.3 उपरोक्त प्रतिभूति जमा (ईएमडी राशि से यथा-परिवर्तित) प्रतिभूति जमा को छोड़कर भुगतान किये गये कोयला मूल्य के अधीन परिवर्तित केवल शामिल कोयले की लिफ्टिंग की समाप्ति पश्चात कोयला के मूल्य के रूप में समायोजित होगा। तथापि बोलीकर्ता द्वारा कार्य निष्पादन में कमी/त्रुटि की स्थिति में "प्रतिभूति जमा" की जब्ती का प्रावधान लागू होगा।

The above security deposit (as converted from the EMD amount) would be adjusted as coal value, only after completion of lifting of coal covered under coal value paid, excluding security deposit. However, in the event of default in performance by the

bidder, the provision of forfeiture of the 'Security Deposit' (as converted from the EMD) as stipulated, would be applicable.

6.4 सड़क से आपूर्ति की स्थिति में एक बार कोयला मूल्य संबंधित खरीददार के लेखा में डेबिट कर संबंधित कोयला कम्पनी के एनईएफटी/आरटीजीएस में स्थानांतरित किया जा सकता है तो बिक्री/डिलीवरी आदेश खरीददारों के वित्तीय उपकरण के नगदीकरण के बाद कोयला कम्पनी द्वारा 07-दिनों के अंदर जारी किया जाएगा ।

In case of road supplies, once the coal value is transferred NEFT/RTGS, of the concerned coal company, by debiting the account of the concerned Buyer, Sale/Delivery orders shall be issued within seven days by the coal company after encashment of buyer's financial instrument.

सफल बोलीकर्ताओं के मामले में, यदि कोयला मूल्य आबंटित मात्रा से कम किंतु आबंटित मात्रा का 50-प्रतिशत से कम नहीं या 50-टन, जो भी अधिक हो, के लिये जमा किया जाता है तो, कोयला कम्पनी उक्त राशि का भुगतान स्वीकार करेगी और असफल मात्रा के लिये ईएमडी जब्त करेगी। तथापि यदि खरीददार आबंटित मात्रा का कम से कम 50-प्रतिशत के लिये या 50-टन, जो भी अधिक हो, कोयला मूल्य जमा करने में असमर्थ रहता है तो आबंटित मात्रा की सम्पूर्ण ईएमडी जब्त कर ली जाएगी ।

In case of successful bidders, if the coal value is deposited for less than the allotted Quantity but not below 50% of the allotted quantity or, 50 tonne whichever is higher, the coal company shall accept the payment for the said amount and forfeit the EMD for the failed quantity. However if the buyer fails to deposit the coal value for at least 50% of the allotted quantity or 50 tonnes whichever is higher then the entire EMD of the allotted quantity shall be forfeited.

:: 5 ::

6.5 यद्यपि, एक सफल बोलीकर्ता जिसे केवल 50-टन मात्रा आबंटित की गई हो, को 7-दिन की निर्धारित अवधि के अंदर न्यूनतम 90-प्रतिशत अर्थात् 45-टन के लिये कोयला मूल्य जमा करने की अनुमति होगी, जिसके बिना राशि स्वीकार नहीं की जाएगी । ऐसी स्थिति में उन्हें शेष आधिक राशि जमा करने की अनुमति होगी, जोकि 50-टन कोयला के कुल मूल्य का 10-प्रतिशत तक सीमित होगा एवं इस राशि को परिवर्ती 03 (तीन) कार्यालयीन कार्य-दिवस की अवधि के अंदर जमा करना होगा। इसके बावजूद, यदि 50-टन (न्यूनतम बोली मात्रा) का पूरा कोयला मूल्य जमा करने में असफल हों तो सम्पूर्ण 50-टन के लिये ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

However, a successful bidder whose allotted quantity is only 50 tonnes will be allowed to deposit coal value for minimum 90% i.e 45 tonnes within the stipulated period of 7 days without which the amount shall not be accepted. In such event they shall be permitted to deposit the balance fractional amount, limited to 10 % of the total coal value of 50 tonne, within the subsequent period of 3(three) working days. In spite of this, if they fail to deposit full coal value of 50 tonne (minimum bid quantity), EMD for entire 50 tonne shall be forfeited.

6-6 यदि रेल माध्यम से आपूर्ति की जाती है तो दो विकल्प उपलब्ध रहेंगे । कार्यक्रम प्रस्तुत करते समय, बोलीकर्ता के पास अपना यह विकल्प होगा कि खरीददार स्वयं के लेखा से निर्धारित प्रपत्र पर 100-प्रतिशत बीजी जमा कर सकता है या दूसरा संबंधित कोयला कम्पनी के एनईएफटी/ आरटीजीएस के माध्यम से 100-प्रतिशत राशि जमा कर सकता है।

6.6 In case of rail borne supplies, there shall be two options available. While submitting program, the bidder at his option can deposit 100 % BG on the prescribed format from the buyers own account or else may deposit 100% amount through NEFT/RTGS of the concerned coal company.

6.7 खरीददार, जिन्होंने बी.जी. के माध्यम से अपने रेल कार्यक्रम के तहत बुक किया है, एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से कोयला मूल्य जमा करने की एक सूचना, आबंटन के लिये रेलवे को आफर देने की संभावित तारीख के पहले अग्रिम में कम से कम तीन कार्यालयीन कार्य दिवसों में कोयला कम्पनी के सूचना-पटल पर प्रदर्शित की जाएगी । खरीददार को तदनुसार ऐसी सूचना के 48-घंटे के अंदर कार्यक्रम में शामिल बी.जी. को एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

6.7 In case of Buyers who have booked their rail programmed through BG, a notice for deposition of coal value through NEFT/RTGS, will be displayed on the notice board of the coal company, at least three working days in advance before the expected date of offer to the Railways for allotment. The Buyer will be accordingly required to transfer **through NEFT/RTGS to the tune of BG** involved in the programme, within 48 hours of such notice.

उपर धारा 6.7 की शर्तों के अधीन बोलीकर्ता द्वारा 100-प्रतिशत कोयला मूल्य जमा न करने की स्थिति में, रैक कार्यक्रम के संबंध में दी गयी सहमति कोयला कम्पनी द्वारा वापस ले ली जाएगी और ई-आव्हन योजना के अनुसार ईएमडी जब्त कर ली जाएगी ।

In the event of non-deposition of 100% coal value by the Bidder in terms of Clause-6.7 above, the consent given against rake programme will be withdrawn by the coal company and EMD as per e-Auction scheme will be forfeited.

6-8 खरीददारों के पास ई-भुगतान का भी विकल्प होगा कोयला कम्पनियों में यह प्रणाली एक बार उचित रूप से विकसित हो जाती है तो तदनुसार वेबसाइट पर अधिसूचित हो जाएगा।

6.8 जीम टनलमते सिस सेव र्म जीम वचजपवद वमि.च्लउमदज वदबम जीम लेजमउ पद जीम बंस बवउचंदपमे पे नपजंइसल कमअमसवचमक - जीम उम पे दवजपपिमक वद जीम मूइपेजमे बबवतकपदहसलप

7. कोयला डिलीवरी की प्रक्रिया :

7. **Procedure of Coal Delivery**

IM+d }kjk@By Road:

7-1 कोयला कम्पनी भुगतान की वसूली के बाद धारा 6.4 की शर्तों के अधीन सफल बोलीकर्ताओं को विक्रय/डिलीवरी आर्डर जारी करेंगे। खरीददार को "राज्य के अंदर" या "राज्य के बाहर" कोयला ले जाने हेतु विक्रय/डिलीवरी आदेश के जारी होने के पहले विकल्प प्रस्तुत करना होगा तथा तदनुसार विक्रय/डिलीवरी आदेश में इसे दर्शाया जाएगा। तथापि, कोयला कम्पनी द्वारा जारी चालान में गंतव्य-स्थान दर्शाया जाएगा।

7.1 Coal company shall issue Sale / Delivery Orders to the successful bidders in terms of Clause 6.4 after realisation of payment. The Buyer has to submit the option before the issue of the Sale / Delivery Order for movement of the coal "within state" or "outside state" and the Sale / Delivery Order would indicate the same accordingly. However, the challan issued by the Coal Company shall indicate the destination.

7-2 रोड द्वारा पूरा कोयला उठाने की वैधता अवधि विक्रय/डिलीवरी आदेश के जारी होने की तारीख से 45-दिन होगी। किसी भी स्थिति में वैधता-अवधि बढ़ाये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.2 The validity period to complete lifting of coal by road shall be 45 days from the date of issue of Sale/Delivery Order. No extension of validity will be allowed in any case.

रेल द्वारा :

By Rail:

7-3 रेल द्वारा आपूर्ति के मामले में खरीददारों की वरीयता खरीददारों की बोली पर आधारित सेवा-प्रदायकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी वरीयता-सूची के अनुसार नियंत्रित होगा।

7.3 The seniority of buyers in case of rail borne supplies shall be guided by the seniority list as provided by the service provider based on buyer's bids.

7-4 प्रत्येक रैक के लिये आबंटित मात्रा में केवल मात्रा दर्शायी जाएगी और लोडिंग-स्थल पर विक्रता द्वारा वास्तविक तौल के आधार पर डिलीवरी दी जाएगी।

:: 6 ::

7.4 The quantity allotted against each rake is indicative quantity only and delivery shall be made on the basis of actual weighment by the Seller at the loading end.

7-5 रेल आपूर्ति के मामले में रैक के आबंटन की मांग के लिये वैधता अवधि कोयला कम्पनी द्वारा सहमति के जारी होने की तारीख से 45-दिन की होगी। एक बार रैक आबंटित हो जाता है तो वह प्रचलित रेलवे नियमों के अनुसार कोयले की आपूर्ति के लिये वैध माना जाएगा।

7.5 The validity period for seeking allotment of rake in case of rail supplies shall be 45 days from the date of issue of consent by the coal company. Once the rake is allotted it shall remain valid for supply of coal as per prevailing Railway Rules.]

7-5 (क) 45-दिनों की अनुसूचित वैधता अवधि के अंदर की स्थिति में, स्वीकृत कार्यक्रम का आबंटन सहायक कम्पनियों के असफल होने के कारण नहीं किया जाएगा, जिसे उनके स्वयं की कमी/त्रुटि के कारण रैक आबंटन करने के लिये भारतीय रेलवे की असफलता नहीं माना जाएगा, तब, सहायक कम्पनियों के पास ऐसे रैकों के आबंटन के लिये रेलवे नियमों के अनुसार लागू अवधि के अंदर वैधता के विस्तार पर विचार करने का विकल्प होगा।

7.5 (a) In the event, within the scheduled validity period of 45 days, allotment of sanctioned programme could not be made due to failure of subsidiary companies, which shall not include failure of the Indian Railways to allot rakes due to their own default, then, Subsidiary companies would have the option to consider extension of validity within the applicable period as per Railway's rules for allotment of such rakes.

7-6 हालांकि लदाई की जिम्मेवारी कोयला कम्पनियों की होगी, किंतु अधिक लदाई, कम-लदाई एवं गुणवत्ता के संबंध में किसी भी शिकायत से बचने के लिये खरीददार स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि लदाई स्थल पर लदाई का पर्यवेक्षण करेगा। अधिकृत प्रतिनिधि सेवा प्रदायकर्ता द्वारा जारी वैध प्राधिकृत पत्र के साथ पहचान पत्र की फोटोकॉपी अनिवार्य रूप से अपने पास रखें।

7.6 Although loading will be the responsibility of the coal company, but to avoid any complaint regarding over-loading, under loading and quality, the Buyer himself or his authorized representative may supervise loading at the loading point. The authorized representative must carry valid authority letter along with photocopy of Identity Card issued by Service Provider.

7-7 अधिक लदाई एवं कम लदाई शुल्क, यदि कोई हो तो, रेलवे नियमों के अनुसार लागू दर, कोयला कम्पनियों द्वारा संबंधित खरीददार/बोलीकर्ता द्वारा नीचे लिखित अनुसार वहन किया जाएगा :-

7.7 The overloading and under loading charges, if any, at the rates applicable as per Railway rules, will be borne by the Coal Company and the respective Buyer / bidder as follows:

- i) vf/kd ynkBZ 'kqYd dk ogu [kjhnkj@cksyhdrkZ }kjk fd;k tk,xkA
- ii) de ynkBZ 'kqYd dk ogu dks;yk dEiuh }kjk fd;k tk,xk] tgka oSxu dh ynkBZ {kerk ds laca/k esa dksbZ fookn ugha gS A]
- i) Overloading charges will be borne by the Buyer / Bidder.
- ii) Under loading charges shall be borne by Coal Company where the loadability of the wagons is not under dispute.

7-8 लदाई-स्थल पर तौल को अंतिम माना जाएगा तथा सभी वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये बाध्यकारी होगा।

7.8 The weighment at the loading end shall be final and binding for all commercial purposes.

8-असफल बोलीकर्ताओं के लिये ईएमडी की वापसी/Refund of EMD for Unsuccessful bidders:-

असफल बोलीकर्ताओं के मामले में, आक्षेप समाप्त होने के बाद बोलीकर्ताओं के अनुरोध पर सेवा प्रदायकर्ता द्वारा ईएमडी वापस की जाएगी। तथापि, यदि ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं होता है तो सेवा प्रदायकर्ता द्वारा भविष्य में ई-आक्षेप में भागीदारी के लिये ईएमडी रख ली जाएगी।

In case of unsuccessful bidders, EMD shall be refunded by the Service Provider after the auction is over, on the bidder's request. However, if no such request is received the Service Provider will retain the EMD for participation in e-Auction in future.

9- ईएमडी की जब्ती/Forfeiture of EMD: -

सफल बोलीकर्ता द्वारा जमा किया गया ईएमडी निम्नलिखित मामलों में जब्त करने योग्य होगा—
The EMD submitted by the successful Bidders will be liable for forfeiture in the following cases: -

9-1 ई-आक्षेप पूरा होने के बाद, यदि एक सफल बोलीकर्ता निर्धारित समय के अंदर सभी अन्य शुल्कों सहित कोयला मूल्य के लिये भुगतान करने में असफल रहता है तो इस दस्तावेज, की धारा 6.5 और/या धारा 5.4 और/या के उपबंधों की शर्त पर असफल मात्रा के समकक्ष आनुपातिक ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।

9.1 If after completion of e-Auction, a successful bidder fails to make payment for the coal value including all other charges within the stipulated time, the proportionate EMD equivalent to the failed quantity shall be forfeited subject to the provisions at Clause 6.4 and/or Clause 6.5 of this document, and/or,

:: 7 ::

9-2 यदि सफल बोलीकर्ता निर्धारित वैधता अवधि के अंदर बुक मात्रा नहीं उठा पाता है तो, न उठायी गयी मात्रा के लिये ₹0 400/- प्रति टन/500/- प्रति टन की दर पर आनुपातिक प्रतिभूति जमा (ईएमडी राशि से परिवर्तित अनुसार जब्त कर ली जाएगी।

ऐसी जब्ती केवल तभी की जाएगी जब शेष न उठायी गयी मात्रा एक ट्रक लदाई अर्थात् 9 या 10-टन से अधिक या समतुल्य/बराबर हो, जो लागू हो।

ऐसी जब्ती, हालांकि नहीं की जाएगी, यदि कोयला कंपनी वैधता अवधि के अंदर सफल बोली मात्रा का पूरा आफर या उसका अंश देने में असमर्थ रहता है। ऐसे मामलों में पुनः कोई जब्ती नहीं की जाएगी यदि शेष मात्रा एक ट्रक लोड/रैक लोड से कम है।

9.2 If the successful bidders does not lift the booked quantity within the stipulated validity period, the proportionate Security Deposit @ Rs.500 /- per tonne for Grade 'E' & above and Rs.400 /- per tonne for Grade 'F' & Below (as converted from the EMD amount) for the unlifted quantity would be forfeited. Such forfeiture shall be made only if the balance Unlifted Quantity is equal or more than a Truck Load i.e.9 or 10 tonnes as applicable.

Such forfeiture, however, would not take place if the coal company has failed to offer full or part of the successful bid quantity within the validity period. In such cases again, no forfeiture would take place if the balance quantity is less than a truck load/rake load.

9-3 यदि खरीददार बुकिंग के बाद आर्डर/रैक निरस्त करता है तो प्रति टन ₹0 400/ 500 की दर पर ईएमडी रैक निरस्त करने के एवज में जब्त की जाएगी।

9.3 If the Buyer cancels the order/Rake after booking, the EMD @ Rs.500 /- per tonne for Grade 'E' & above and Rs.400 /- per tonne for Grade 'F' & Below shall be forfeited for the rake cancelled..

10. कोयला मूल्य की वापसी/Refund of Coal value:

कोयले की आपूर्ति के लिये वैधता अवधि की समाप्ति के बाद तथा आवश्यक कार्मिषियल औपचारिकताओं को पूरा करने पर न उठायी गयी मात्रा का शेष कोयला मूल्य यदि आवश्यक हुआ तो उपरोक्त जब्ती धारा की शर्त पर जब्त ईएमडी वापस कर दी जाएगी।

The balance coal value of the unlifted quantity after the expiry of the validity period for supply of coal and completion of required commercial formalities shall be refunded subject to forfeiture of EMD if required, in terms of the forfeiture clause as above.

11. सामान्य नियम एवं शर्तें :

11. General Terms & Conditions:

11-1 ई-आक्षेप के अधीन कय किया गया कोयला देश के अंदर उपयोग के लिये है न कि निर्यात के लिये है।

11.1 The coal procured under e-Auction is for use within the country and Not for Export.

11-2 योजना की सभी नियम एवं शर्तें मुख्य दषाओं की शर्त पर लागू हैं ।

11.2 All terms and conditions of Scheme are subject to force majeure conditions as applicable.

11-3 बोलीकर्ता अपना मान्य ई-मेल पता रखना अवष्य सुनिश्चित करें। किसी भी मामले में खरीददार को नियम एवं शर्तों के किसी के अनुपालन की जिम्मेवारी को पूरा करने से मुक्त नहीं किये जा सकते, जिसमें सेवा प्रदायकर्ता से ई-मेल की प्राप्ति न होने के कारण भुगतान-शर्त भी शामिल है।

11.3 Bidders must always ensure to keep their email address valid. In any case Buyers can not be absolved from fulfilling the responsibility of compliance of any of the terms and conditions herein including payment terms due to non-receipt of emails from the Service Provider.

11-4 बोलीकर्ता बोली में किसी गलती से बचने के लिये अत्यधिक सावधानी बरतें (चाहे वह मुद्रण से संबंधित हो या अन्य) और वे "बोली" बटन पर क्लिक कर ई-आक्शन फ्लोर पर अपनी बोली जमा करने के पहले बोली की जांच करने और अपनी बोली सुधारने के लिये जिम्मेवार रहेंगे । आक्शन के दौरान यदि इंकीमेंटल बोली मूल्य तत्काल पूर्ववर्ती बोली मूल्य के 50-प्रतिशत से अधिक है तो बोली पंजीकृत करने के पहले बोलीकर्ता से पुनः पुष्टीकरण के लिये सिस्टम द्वारा मांग की जायेगी।

:: 8 ::

11.4 Bidders must be extremely careful to avoid any error in bidding (whether typographical or otherwise) and they are fully responsible to check and rectify their bid before submitting their Bid into the live e-Auction floor by clicking the "Bid" button. During the auction if the incremental bid price is more than 50% of the immediate preceding bid price, then the system will seek a re-confirmation from the Bidder before the bid is registered.

11-5 दषमलव में बोली के लिये कोई प्रावधान नहीं है । बोलीकर्ता उनके द्वारा जमा किये गये बोली के कारण होने वाले किसी भी परिणामों के लिये अकेले जिम्मेदार रहेगा (उनके द्वारा किसी भी गलत बोली सहित) और इस संबंध में सेवा प्रदायकर्ता/कोयला कम्पनी द्वारा किसी भी शिकायत/अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.5 There is no provision for bidding in decimals. The Bidder shall be solely responsible for all consequences arising out of the bid submitted by him (including any wrongful bidding by him) and no complaint /representation will be entertained by the Service Provider/Coal Company in this regard.

11-6 कोल इंडिया/कोयला कम्पनी के मार्केटिंग के निदेशक-प्रभारी का निर्णय इस ई-आक्शन से संबंधित प्रकरणों में अंतिम और बोलीकर्ताओं/खरीददारों के लिये बाध्यकारी होगा।

11.6 The decision of the Director-In-Charge of Marketing of CIL / Coal Company in matters related to this e-Auction shall be final and binding on the bidders / Buyers.

11-7 सूचना में दर्शित मात्रा केवल सूचक है और कोयले का वास्तविक उत्पादन, कोयला परिवहन आदि में मार्ग-अवरोधन आदि जैसे फौक्टर्स पर आधारित बदलाव सहना पड़ सकता है ।

11.7 Quantity mentioned in notice are only indicative and **may undergo a change depending on factors** like actual production of coal, bottlenecks in coal transportation etc.

11-8 किसी भी खरीददार को कोई संयुक्त/थर्ड पार्टी सैपलिंग सुविधा नहीं दी जाएगी। कोयले की आबंटित मात्रा के लिये सब-स्टेण्डर्ड गुणवत्ता और/या योग्य न होने के कारण अस्वीकृति/इंकार को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

11.8 There will not be any joint/ third party sampling facility extended to any buyer. Refusal on account of non-suitability and /or sub-standard quality for the allotted quantity of coal shall not be acceptable.

11-9 कोयला कम्पनी/सेवा प्रदायकर्ता के पास बिना कोई कारण बताये अपने अकेले के विवेक पर किसी भी स्थिति में सम्पूर्ण या आंशिक रूप में कोई भी श्रोत/स्थान से ई-आक्शन के अधीन कोयले की बिक्री को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है और पार्टी को इस संबंध में कोई दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

11.9 Coal Company / Service Provider reserve the right to cancel the sale of coal under this e-Auction from any source / location in part or whole at any stage at its sole

discretion without assigning any reason thereof and no party shall have any right whatsoever to raise any claim in that regard on that count.

11-10 कोल इंडिया लिमिटेड/कोयला कम्पनी के पास किसी भी समय इसमें दिये गये नियमों एवं शर्तों का पूर्णतः या अंशतः में पुनरीक्षण एवं संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है और इस संबंध में किसी भी पार्टी को कोई दावा करने का अधिकार नहीं है।

11.10 CIL/Coal Company reserves their rights to amend/modify and revise the terms and conditions contained herein in full or in part at any point of time and no party shall have any right whatsoever to raise any claim in that regard on that count.

11-11 प्रत्येक ई-आक्शन के अधीन बिक्री व्यक्तिगत/अकेला, स्वतंत्र,अद्वितीय और पूर्ण सौदा होगी।

11.11 Sale under each e-Auction shall be an individual, independent, unique and complete transaction.

11-12 किसी विवाद की स्थिति में, बोलीकर्ता/खरीददार के लिये संबंधित कोयला कम्पनी के महाप्रबंधक (विक्रय) को लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता है जोकि ऐसे अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के एक माह की अवधि में इस पर विचार करती है। तत्पश्चात, यदि आवश्यक हुआ तो संबंधित कोयला कम्पनी के मार्केटिंग के निदेशक-प्रभारी द्वारा प्रकरण का निर्धारण किया जाता है। इसके किसी धारा का कोई व्याख्या कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्पष्टीकरण पर आधारित होगा,जिसे अंतिम एवं निश्चित माना जाएगा। इस योजना के संबंध में या उससे संबंधित उठाये गये सभी विवाद पंचाट एवं समाधान अधिनियम,1996 की शर्तों पर केवल पंचाट के द्वारा ही विचार किया जाएगा। पंचाट कलकत्ता में संचालित होगा, स्थान कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इस संबंध में लिखित अनुरोध पर ही आर्बिट्रेटर की नियुक्ति चेयरमेन एवं प्रबंधन निदेशक, कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा की जाएगी। आर्बिट्रेटर द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा। (आर्बिट्रेशन का स्थान और आर्बिट्रेटर का नामांकन कोल कम्पनी के शामिल होने के औचित्य को ध्यान में रखते हुए बदला जा सकेगा)

:: 9 ::

11.12 In the event of any dispute, Bidder / Buyer is necessarily required to represent in writing to the General Manager (Sales) of the concerned coal company, who would deal with the same in a period of one month from such representation. Thereafter, if required the matter be determined by the Director-In-Charge of Marketing of the concerned coal company. Any interpretation of any clause of this will be subject to clarification by CIL, which will be deemed as firm and final. All disputes arising out of this scheme, or in relation thereto in any form whatsoever shall be dealt exclusively by way of arbitration in terms of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. The arbitration shall be conducted at Calcutta at a place to be notified by CIL. The arbitrator shall be appointed by the Chairman and Managing Director, CIL upon written request in this behalf. The award rendered by the Arbitrator shall be final and binding on the parties. (The place of arbitration & nomination of arbitrator be varied appropriately in view of the Coal Company involved)".

=0=0=0=

NOTE : If, any difference between English & Hindi version than English version is valid.